फर्द अहकाम
(नियम 26)

अज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी,बाड़मेर

गोविन्दसिंह वगै.
बनाम
उदाराम वगै.

किस्म मुकदमा 223 आर.टी एक्ट न. 15 सन् 2022

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
07.07.2022	पत्रावली बाद जांच पेश हुई। अपीलांट अधिवक्ता श्री पवन सिंहल उपस्थित। अपील राजस्थान काश्तकारी एक्ट 1955 के अन्तर्गत धारा 223 विरूद्ध निर्णय सहायक कलक्टर पोकरण के राजस्व वाद संख्या 20/2022 बअनवान गोविन्दसिंह वगै. बनाम उदाराम वगै. में पारित आदेश दिनांक 23.05.2022 के विरूद्ध पेश हुई। अपील दर्ज रजिस्टर हो। अपीलांट के अधिवक्ता की अपील के एडमिशन एवं स्थगन प्रार्थना–पत्र पर एकतरफा बहस सुनी गई। अपीलांट के अधिवक्ता की अपील के एडमिशन एवं स्थगन प्रार्थना–पत्र पर एकपक्षीय बहस सुनने एवं पत्रावली का अवलोकन करने के पश्चात न्यायालय का निष्कर्ष है कि हस्तगत वाद को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अदम हाजरी एवं अदम पैरवी में खारिज किया गया। जिसके विरूद्ध अपीलांट द्वारा अपील पेश की गई। अपील पत्रावली पर अपीलांट द्वारा ऐसा कोई दस्तावेज पेश नहीं किया गया जिससे यह जाहिर होता हो कि अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष मूल वाद को पुनः नंबर पर दर्ज करने हेतु बाजदायरी आवेदन पेश किया गया हो। अपीलांट जिस अनुतोष के लिए हस्तगत अपील पेश कर रहा है उक्त अनुतोश मातहत अदालत भी देने में समक्ष है। न्याय का सिद्धांत है कि जो अनुतोष मातहत अदालत के क्षेत्राधिकार का है उसके लिए अपीलीय न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर हाजा न्यायालय का अनावश्यक समय जाया नहीं कर अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वाद को पुनः नंबर पर दर्ज करने का आवेदन पेश करना ही न्यायोचित होगा। लिहाजा अपीलांट की अपील को एडमिशन स्टेज पर खारिज किया जाता है। अपीलांट को आदेशित किया जाता है कि वह अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वाद को पुनः नंबर पर दर्ज करने हेतु आवेदन पेश करे। पत्रावली फैशल शुमार नंबर से कम होकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो। आदेश सरे इजलाश सुनाया गया। राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर	